एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 07 की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। अप्रार्थीगण बलपूर्वक प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू है, जिसमे अप्रार्थीगण सफल होते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा अन्तरिम निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत तर्को पर चिन्तन–मनन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनापरान्त यह ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण सहखातेदार के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते है। अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः विप्रार्थीगण जरिये नॉटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 15.9.20 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

15.9.20 प्रार्थी के अधिवक्ता उप/अधिवक्ता ... तलबी हेतु नोटिस ... पेश को वापस तलबी तारीख 29.9.20 को पेश हों।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

22/09/20
(21.09.20) प्रार्थीगण के वकील के आवेदन पर मूल वाद के साथ मय पत्रावली शामिल हुई। मूल वाद आदेश डिक्री खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस आवेदन का कोई औचित्य नहीं होने से यह आवेदन खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prashant Sharma
Date: 2020.09.29 16:59:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner